[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 सितम्बर, 2018

का.आ. ..... (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उक्त अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामलों के शीघ्र विचारण का उपाबंध करने के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्-

सारणी

क्र.सं. (1)	न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, कोहिमा	नागालैंड राज्य
2.	जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, आईजोल	मिजोरम राज्य
3.	पश्चिमी सत्र डिवीजन, युपिया	अरूणाचल प्रदेश राज्य

[फा.सं.1/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

के. वी. आर. मूर्ति
05/9/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 05 September, 2018

S.O. .....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Gauhati High Court at Guwahati, hereby designates the following Courts mentioned in column (2) of the Table below as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said Act, namely:-

Table

S.No.	Courts	Jurisdiction as Special Courts
(1)	(2)	(3)
1.	Court of District and Sessions Judge at Kohima	State of Nagaland.
2.	Court of District and Sessions Judge at Aizawl	State of Mizoram.
3.	West Session Division, Yupia	State of Arunachal Pradesh.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

05/9/18

(K.V. R. MURTY)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA